न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 27/2019 व 42/2019 निर्णय दिनांक :– 3.10.19

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. मु0 केसर पत्नि भंवरलाल जाति माली निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला–टोंक राज0
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला–टोंक राज0
3. सावित्रि पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला–टोंक राज0
4. पुजा पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला–टोंक राज0
5. मु0 शकुन्तला पत्नि त्रिलोक जाति माली निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला–टोंक राज0
6. दीपक पुत्र त्रिलोक चन्द जाति माली निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला–टोंक राज0
7. ललिता पुत्री त्रिलोक जाति माली निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला–टोंक राज0

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. देवाराम पुत्र जयराम जाति माली निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला–टोंक राज0
2. रतनी पुत्री जयराम जाति माली निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला–टोंक राज0
3. फुला पुत्री जयराम जाति माली निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला–टोंक राज0
4. गीता पुत्री जयराम जाति माली निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला–टोंक राज0
5. चीता पुत्री जयराम जाति माली निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला–टोंक ? राज0
6. तहसीलदार देवली
7. उप पंजीयक देवली
8. पी0एन0बी0 शाखा देवली जरिये शाखा प्रबन्धक

– अप्रार्थीगण –

उपस्थिति :–
प्रेमचन्द जैन
अधिवक्ता प्रार्थीगण

अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली संख्या 27/2019 व 42/2019 दोनो पत्रावलियो में समान पक्षकारान व समान आराजी होने के कारण दोनो पत्रावलियों को दिनांक 10.05.19 को अधिवक्ता री प्रेमचन्द जैन व अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता की प्रार्थना पर समेकित की गई। दोनो पत्रावलिया वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली 27/2019 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 ता 5 किसना पुत्र रोडू जाति माली निवासी पनवाड़ के वारिसान/उत्तराधिकारी है, किसना का देहान्त हो चुका है, उसकी पत्नि भी मर चुकी है। सजरे के अनुसार किसना के दो पुत्र रामचन्द्र व सुख्या थे। रामचन्द्र का पुत्र भंवरलाल मर चुका है जिसके उसकी पत्नि केसर, पुत्र लम्मीनारायण व त्रिलोक चन्द है। त्रिलोक चन्द की मृत्यु हो गयी है उसके वारिसान त्रिलोक चन्द की पत्नि शकुन्तला, पुत्र दीपक, पुत्री ललीता है

व सावित्री, पुजा, माया भंवरलाल की पुत्रिया है। माया स्वर्गवास हो गया है, जो प्रार्थीगण है किसना के पूर्व उसका पुत्र रामचन्द्र का स्वर्गवास हो गया था उस समय उसका पुत्र भंवर लाल व उसकी माता गोरी देवी जीवित थी। सुख्या का पुत्र जयराम था जो कि अप्रार्थी नं0 1 ता 5 का पिता था। जयराम व उसकी पत्नि भी मर चुकी है। जिनकी वारिसान अप्रार्थीगण नं0 1 ता 5 है। आराजी खसरा नम्बर 144, 1208, 1372, 1374, 1386, 1403, 1409, 1410, 1646, 1735, 1736 कुल किता 11 रकबा 5.19 बीघा वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0 तथा खसरा नम्बर 1732, 1738 कुल किता 2 रकबा 0.19 बीघा वाके ग्राम पनवाड खसरा नम्बर 1729 रकबा 0.18 बीघा ग्राम पनवाड किसना पुत्र रोडू माली निवासी पनवाड के नाम के नाम रजिस्टर चकबन्दी मौजा पनवाड तहसील टोडारायसिंह निजामत मालपुरा राज सवाई जयपुर मे खातेदार चकदार के रूप मे अंकित है। किसना पुत्र रोडू के देहान्त के बाद विवादित भूमि की खातेदारी का विरासत का नामांतकरण तनहा सुख्या के नाम ही दर्ज कर दिया जो कि प्रारम्भतः ही प्रभाव शुन्य व गलत है। क्योकि उक्त किसना की विरासत का नामांतकरण हिस्सा 1/2 उसके मृतक पुत्र रामचन्द्र के वारिसान के पक्ष मे तथा हिस्सा 1/2 सुख्या के पक्ष मे स्वीकार होना चाहिए था। सुखा को सम्पूर्ण भूमि का हक व अधिकार प्राप्त नही था बल्कि उसका 1/2 हिस्सा बनता था। परन्तु माता व भंवरलाल अनवढ ग्रामीण व प्रार्थी उस समय नाबालिग होने से सुख्या ने उनको जायजाद से महरूम करने एवं सम्पूर्ण भूमि स्वंय हडपने की नियत से चुपचाप अपने नाम ही अंकित करवा ली तथा सुख्या के मरने के बाद सम्पूर्ण खातेदारी जयराम ने तथा जयराम के मरने के बाद अप्रार्थीगण नं0 1 ता 5 ने अपने नाम लगा ली। जबकि वो केवल 1/2 के हकदार है। प्रार्थीगण मौके पर अपने 1/2 हिस्से पर काबिज है तथा काश्तकार है। उक्त भूमियॉ यानि पैरा नं0 4 मे वर्णित साबिका भूमियो के हाल खसरा नम्बर 657, 786, 1189, 1198, 1223, 1234, 1521, 1522 1530, 2087 कुल किता 10 रकबा 2.00 है0 वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली बनाये गये है जिनको अवैध रूप से अप्रार्थीगण 1 ता 5 के नाम खातेदारी मे अंकित कर रखा है उन्होने गलत रूप से अप्रार्थी नं0 8 के यहा से ऋण ले रखा है। उक्त अंकन भी अवैध व शुन्य है। उक्त किता 10 रकबा 2.00 है0 भूमि वाके ग्राम पनवाड मे हिस्सा 1/2 का खातेदार काबिज सहकर्षक प्रार्थीगण है। जो मौके पर काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण मे उक्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकार शुरू से ही निहित है। वर्तमान त्रुटीपूर्ण अंकन मे संशोधन कर हिस्सा 1/2 की खातेदारी का अंकन प्रार्थीगण के पक्ष मे करने एवं प्रार्थीगण को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित करने योग्य है। अप्रार्थीगण 1 ता 5 के नाम वर्तमान जमाबन्दी मे सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी का अंकन त्रुटीपूर्ण तथा प्रारम्भतः ही अवैध परन्तु इस बात का नाजायज फायदा उठाकर व जबरन वादी को 1/2 हिस्से से बैदखल करने, कब्जे काश्त मे हस्तक्षेण करने, भूमि को बिना विधिवत विभाजन के अन्य के पक्ष मे अन्तकरण खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण 1 ता 5 को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक एवं न्यायसंगत हे कि वे स्वंय या अन्य के माध्यम से प्रार्थीगण को उक्त वर्णित किता 10 रकबा 2.0 है0 भूमि जो वाके ग्राम पनवाड के 1/2 हिस्से से बेदखल नही करे, कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप नही करे, किसी भू भाग को अन्य के हक मे रहन, दान, बेचान व किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द आदि नही करे अन्यथा प्रार्थीगण को अपार हानि होगी। आपस मे झगड़े होंगे, प्रार्थीगण को कई प्रकार की मुकदमेबाजी मे उलझना पडेगा।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जावे कि :–प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 657, 786, 1189, 1198, 1223, 1234, 1521, 1522, 1530, 2087 कुल किता 10 रकबा 2.0 है0 वाके ग्राम

पनवाड तहसील देवली मे 1/2 हिस्से से बेदखल नंहीं करे, कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप नहीं करे, भूमि को अन्य के हक मे रहन, दान, बेचान आदि नही करे। इसी आराजी से सम्बन्धित एक अन्य प्रार्थना पत्र संख्या 42/2019 रतनी आदि बनाम लक्ष्मीनारायण आदि अधिवक्ता श्री अशोक गुप्ता द्वारा पेश की गई जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 को उक्त आरजी भूमि में किसी प्रकार की बाधा व मजामहत नहीं करने हेतु पाबन्द करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जवाब अनुसार प्रार्थना पत्र का चरण नं. 1 मे वाद एंव प्रार्थना पत्र पेश करना मात्र स्वीकार है शेष इबारत गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टिया केस, सविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति सिद्ध नही है बल्कि प्रतिपक्षगण के पक्ष मे प्रबल सिद्ध है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 जिस तरह वर्णित किया गया है गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 मे जो सजरा अंकित किया गया है वह बिल्कुल गलत है, स्वीकार नही है। किशना के एक पुत्र सुखा हुआ था, रामचन्द्र एवं उसके वारिसान का किशना से कोई संबंध नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 जिस तरह वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। उक्त चरण में सुखा का पुत्र जयराम होना एवं जयराम के प्रतिपक्षीगण 1 ता 5 वारिस होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 स्वीकार है। इस चरण मे वर्णित खसरा नं0 किशना पुत्र रोडू की खातेदारी मे अंकित है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 6 जिस तरह वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। मृतक किशना के एक लड़का सुखा हुआ था, किशना के मरने के बाद फोती का नामांतकरण सुखा के नाम सही रूप से खोला गया है तथा सम्पूर्ण आराजीयात पर प्रतिपक्षीगण का कब्जा है। रामचन्द्र कभी भी ग्राम पनवाड़ मे नही रहा और उसके वारिसान भी ग्राम पनवाड़ मे नही रहे तथा इनका कभी भी विवादित आराजीयात पर कब्जा नही रहा । प्रार्थना पत्र का चरण नं. 7 बिल्कुल गलत है, स्वीकार नही है। विवादित आराजीयात में रामचन्द्र या भवंरलाल या भवंरलाल के वारिसान का कोई 1/2 हिस्सा नही है तथा उनका 1/2 हिस्से पर कब्जा भी नही है तथा सम्पूर्ण आराजीयात पर प्रतिपक्षीगण का कब्जा है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 8 जिस तरह वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। विवादित आराजीयात प्रतिपक्षीगण 1 ता 5 की खातेदारी मे अंकित है और प्रतिपक्षीगण को अपनी खातेदारी की आराजीयात पर ऋण लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 9 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण विवादित आराजीयात मे से 1/2 हिस्सा स्वंय ही खातेदारी मे लगवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 10 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 11 जिस तरह वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रतिपक्षीगण खातेदार काबिज काश्तकार है तथा 1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा नही है। वैसे भी खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। कब्जे के अभाव मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। विशेष आपत्तियों में बताया कि विवादित आराजीयात किशना पुत्र रोडू की खातेदारी मे अंकित थी, उसकी मृत्यु के बाद फोती का नामांतकरण उसके पुत्र सुखा के नाम लगायी गयी और सुखा की मृत्यु के बाद जयराम के नाम लगायी गयी , जयराम की मृत्यु के बाद प्रतिपक्षगण 1 ता 5 के नाम लगायी गयी । वर्तमान मे विवादित खसरा नम्बर के प्रतिपक्षीगण 1 ता 5 खातेदार काबिज काश्तकार है। विवादित जमीन मे रामचन्द, भवंरलाल या प्रार्थीगण का कोई संबंध नही है। उक्त सभी लोग ग्राम पनवाड़ मे नही रह रहे है। प्रतिपक्षगण के दादाजी के नाम 50 साल पहले ही खातेदारी लग गई थी और पिछले 50 साल से प्रतिपक्षीगण एवं उनके पूर्वज उक्त भूमि को काश्त कर

रहे है। वर्तमान मे प्रार्थनागण का विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से पर कब्जा नही है बल्कि सम्पूर्ण आराजीयात पर प्रतिपक्षीगण का कब्जा है। सुखा की फोती का जो नामांतकरण व जयराम की फोती का नामांतकरण जो खोला गया है वह बिल्कुल सही खोला गया है। उक्त दोनो नामांतकरण की कोई अपील भी पेश नही की गई है। प्रार्थीगण को तो यह भी मालुम नही है कि विवादित खेत कहां पर स्थित है और उसके चारो तरफ किन किन लोगो के खेत है। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजीयात नही है। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तेनी आराजीयात नही है। प्रार्थीगण द्वारा जमीन की कीमते बढ़ जाने के कारण प्रतिपक्षीगण को जैरबार व परेशान करने की नियम से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता द्वारा पेश किये गये जवाब के तथ्य ही पत्रावली संख्या 42/2019 के मुख्य तथ्य है।

दोनो पत्रावलियां बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण के पूर्वज सुख्या उक्त आराजी मे केवल 1/2 हिस्से का ही हकदार था परन्तु भंवरलाल अनपढ व सीधा साधा होने का फायदा उठाकर सुख्या ने किसना की सम्पूर्ण आराजी को अपने नाम लगवा लिया जो प्रारम्भतः शून्य है। प्रतिवादीगण के जवाबानुसार विवादित जमीन से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बिन्दू वाद में तय हो सकेगा। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त वर्णित आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे, कब्जे काश्त में मजामहत नहीं करे और भूमि को अन्य के हक में रहन, दान, बेचान नहीं करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही इनका कब्जा काश्त पूर्व में था और न ही वर्तमान में है। केवल हैरान व परेशान करने की नियत से यह वाद और प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है जबकि न तो प्रार्थीगण की खातेदारी है और न ही कब्जाकाश्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। और प्रार्थना की कि प्रार्थीगण जो कि पत्रावली संख्या 42/2019 में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उनकी खातेदारी भूमि में कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे।

दोनो पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया और अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा पेश ग्राम पंचायत, पनवाड़ का सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 16.06.2016 के अनुसार प्राथ्रना पत्र संख्या 27/2019 में अप्रार्थीगण स्व. किसना पुत्र रोडू के वारिसान है। अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता अनुसार इस प्रार्थीगण का इस आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है, यह नियमित वाद में साक्ष्य व सबूत से तय हो सकेगा। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र संख्या 27/2019 व 42/2019 के पक्षकारान को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति यथावत रखे। पाबन्द रहे। प्रार्थना पत्र संख्या 27/2019 व 42/2019 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय दोनो पत्रावलियों में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली